UPME010075622023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड यू०पी०-6292
दाण्डिक वाद संख्या-623/2023

उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रोहताश

मु०अ०सं०-4016/2020
धारा-135 भा०वि०अधि०
थाना-ए०पी०टी०, जिला मेरठ।

दिनांक-04.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त रोहताश उपस्थित तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) उपस्थित हैं। अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने विद्युत विभाग में अपने उक्त अपराध का राजस्व निर्धारण दिनांक 16.12.2020 अंकन 35447.00/- रुपये जमा कर दिया था किन्तु प्रार्थी का दूसरा अपराध होने के कारण अपराध का शमन नहीं किया गया। प्रार्थी अपने उक्त वाद को कम से कम अर्थदण्ड से निर्णीत कराना चाहता है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा जुर्म स्वीकार करने हेतु एक प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में जुर्म इकबाल करना चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्रावली निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त संदर्भ में रसीद सं० 34130516122042420009, दिनांक 16.12.2020 की प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार राजस्व शुल्क 35447.00/- रूपये जमा कर दिया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) के द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार नहीं किया गया।

मैनें अभियुक्त रोहताश से उक्त जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पूछा तो उसके द्वारा बिना किसी दबाव के स्वेच्छया से जुर्म स्वीकारोक्ति किये जाने का कथन करते हुए कहा कि वह भविष्य में कभी भी इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा। अभियुक्त का बयान मुल्जिम भी लिखा गया।

अतः अभियुक्त की उपरोक्त संस्वीकृति के आधार पर वह दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **रोहताश** को उसके द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा मामले के तथ्यों व

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसके द्वारा पूर्व में विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व जमा किया जा चुका है ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध को रूपये 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त रोहताश एक सप्ताह का कारावास भोगेगा।

दोषसिद्ध द्वारा तत्काल ही अर्थदण्ड अदा किये जाने का कथन किया गया है। दोषसिद्ध द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि रुपये 1,000/- कार्यालय को प्राप्त करायी जा चुकी है ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः दोषसिद्ध को छोड़ा जाता है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक-04.06.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

दिनांक-04.06.2026

अभियुक्त **रोहताश** को उसके द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसके द्वारा पूर्व में विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व जमा किया जा चुका है ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध को रूपये 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त रोहताश एक सप्ताह का कारावास भोगेगा।

दोषसिद्ध द्वारा तत्काल ही अर्थदण्ड अदा किये जाने का कथन किया गया है। दोषसिद्ध द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि रुपये 1,000/- कार्यालय को प्राप्त करायी जा चुकी है ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः दोषसिद्ध को छोड़ा जाता है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

Digitally signed by CHANDRA SHEKHAR MISRA
Date: 2026.06.29 16:43:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court